

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु भूमि उपयुक्तता प्रमाण पत्र

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, मुरादाबाद द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-93 (अलीगढ़-मुरादाबाद खण्ड) के किमी 126.000 से किमी 133.860 तक दो लेन मार्ग चौड़ीकरण में 3.5760 हे० संरक्षित वन भूमि का वनेत्तर प्रयोग निहित है। इसके बदले में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कराने हेतु दो गुनी अवनत वन भूमि अर्थात् 7.152 हे० गंगजसपुर वन ब्लॉक की भूमि प्रस्तावित (चयनित) की जाती है। प्रस्तावित भूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।


प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
बुलन्दशहर . बुलन्दशहर